तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल जज	हुक्म में जारी
8/6/22	पत्रावली पेश हुई । [illegible] हम दीगर आवश्यक कार्यों [illegible] व्यस्त है । अतः इलतवा होकर पत्रावली आइन्दा 14/6/22 को पेश हो ।	
14/6/22	पत्रावली आज पेश हुई। वकील प्रार्थी उप०/ विपक्षी सं. 2 के वकील उपस्थित/ विपक्षी सं. 1, 3 से 37 अनुपस्थित/ आवाज दिलाई गई वावजूद आवाज दिलाने के अनुपस्थित रहने से विपक्षीगण 1, 3 से 37 के खिलाफ एक तरफा कार्यवाही की जाती है। पत्रावली वास्ते जवाब विपक्षी सं. 2 दि० 24/6/22 को पेश हो। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी	
24/6/22	पत्रावली पेश हुई । हम दीगर आवश्यक कार्यों में व्यस्त है । अतः इलतवा होकर पत्रावली आइन्दा 18/7/22 को पेश हो ।	
18/07/22	पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी व विपक्षी सं. 2 के वकील उपस्थित। वकील विपक्षी-2 द्वारा जवाब पेश किया, प्रति वकील प्रार्थी ने प्राप्त की। पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 18/7/22 को पेश हो। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी	
18/07/22	पत्रावली आज पेश हुई [illegible] के वकील उपस्थित। दोनों पक्षों के [illegible] वकीलों से बहस सुनी। आदेश [illegible] सुनाकर न्यायालय सुनाया गया। [illegible] की पालनार्थ तहरीर जारी हो। मालना प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली की जावे। पत्रावली निर्णय शुदा होकर दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी	

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2022.09.19 18:07:34 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी (बाड़मेर)
पीठासीन अधिकारी श्री प्रमोद कुमार आर.ए.एस

प्रकरण संख्याः 54 / 2022

प्रार्थीनी :–

1. बादलीदेवी पत्नी ईश्वरलाल
   कौम विश्नोई साकिन इन्दिरा कॉलोनी सांचोर तहसील सांचोर जिला जालोर

बनाम

विप्रार्थीगण :–

1. अजा पुत्र सोना
2. अमरा पुत्र सोना
3. कमला पुत्री सोना
4. कृष्ण पुत्र हरजी
5. खुशालाराम पुत्र हरजी
6. गोतम पुत्र धनाराम
7. चेला पुत्र सोना
8. तेजाराम पुत्र मोड़ूराम
9. तारी पत्नी हरजी
10. दरीया पत्नी मोड़ूराम
11. देवाराम पुत्र सोनाराम
12. दिनेश पुत्र मोड़ूराम
13. प्रकाशचन्द्र पुत्र धनाराम
14. पीराराम पुत्र सोनाराम
15. बुधराम पुत्र सोना
16. बाजू पत्नी सोना
17. भवा पुत्र सोना
18. भीमा पुत्र हरजी
19. रमेश कुमार पुत्र धनाराम
20. लूणा पुत्र हरजी
21. सांवलाराम पुत्रमाडूराम
    जाति मेघवाल निवासी सीलू तहसील गुड़ामालानी
22. चेनसिंह पुत्र तुलछा
23. जगमालसिंह पुत्र तुलछा
    जाति राजपूत साकिन सीलू तहसील गुड़ामालानी
24. कुलदीपसिंह पुत्र राणा रणवीरसिंह
25. चन्दाकंवर पत्नी राणा रणवीरसिंह
26. जसवंतकंवर पत्नी गजेसिंह
27. नरेन्द्रसिंह पुत्र स्वरूपसिंह
28. रसालकंवर पत्नी स्वरूपसिंह
29. लक्ष्मणसिंह पुत्र गजेसिंह
30. हेमेन्द्रसिंह पुत्र स्वरूपसिंह
    जाति राजपूत निवासी गुड़ामालानी
31. ओमप्रकाश पुत्र आसूराम जाति भील [illegible]
32. पारूदेवी पत्नी जीवाराम जाति कलबी निवासी रामपुरा [illegible]
33. ओंकारसिंह पुत्र नींबसिंह रावणा राज[illegible]
34. माडुदेवी पत्नी प्रहलादराम कौम जाट [illegible]
35. ओमप्रकाश पुत्र रामकिशोर
36. रामकिशोर पुत्र मांगीलाल कौम अग्रवाल साकिन गुड़ामालानी
37. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार गुड़ामालानी

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2022.09.19 18:07:34 IST
Reason: SelfAttested

<u>राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956</u>

–:: आदेश ::–

दिनांक :– 18.07.2022

प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 सपठित धारा 128 रा.भू.रा. अधिनियम हेतु, नेखम पैमाईश जरिये पत्थर गढी का विप्रार्थीगण के विरूद्ध पेश किया। प्रकरण दर्ज कर विप्रार्थीगण को जरिये समन तलब किया गया। विप्रार्थी संख्या 2 व 20 की ओर से वकील श्री बाबूलाल चौधरी द्वारा जवाब पेश कर कथन किया कि विप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीगण की खातेदारी में किसी प्रकार का दखल नही दिया जा रहा है प्रार्थीगण व विप्रार्थीगण की खातेदारी के बीच माठें बनी हुई है, प्रार्थी नेखमबन्दी की आड़ में विप्रार्थीगण को पुश्तैनी कब्जे काश्त व खातेदारी से बेदखल करने की नीयत से यह प्रार्थना पत्र पेश किया है जो खारिज फरमाया जावे। शेष विप्रार्थीगण के विरूद्ध बावजूद नोटिस तामील अनुपस्थित रहने से एक पक्षीय कार्यवाही की गई।

हमने दोनों पक्षों के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी एवं पत्रावली का अवलोकन किया। न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत अंतिम चौसाला आधार सम्वत 2074–2077 जमाबंदी 2078 (वर्ष 2021) से स्थायी सरहद मौजा सीलू के खेत खसरा नम्बर 8/3 रकबा 2.4767 हैक्टेयर का अवलोकन किया। जिसमें प्रार्थीनी का नाम बतौर खातेदारी दर्ज है। प्रार्थीनी की भूमि के चारों ओर सीमा चिन्ह व पक्की माठे नहीं होने से काश्त व प्राकृतिक पैदावार लेते समय तनाव व विवाद की स्थिति पडौसी खातेदारों के साथ उत्पन्न हो जाती है जिससे बचने के लिये प्रार्थीनी अपनी भूमि की पक्की नेखमबन्दी करवाना चाहते है। ऐसी स्थिति में दोनों पक्षकारों की उपस्थिति में विवादित भूमि का सीमाज्ञान करवाकर पक्के नेखम स्थापित करवाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होने एवं प्रार्थीनी विवादित भूमि का राजस्व अभिलेख में खातेदार दर्ज होने से प्रार्थीनी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीनी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार गुड़ामालानी को आदेशित किया जाता है दोनों पक्षकारों की उपस्थिति में विवादित खसरा सरहद मौजा सीलू के खेत खसरा नम्बर 8/3 रकबा 2.4767 हैक्टेयर भूमि के सम्बन्ध में सीमाज्ञान करवाकर चारों ओर पक्के नेखम स्थापित करावें। पक्के नेखम स्थापित करवाने हेतु तहसीलदार गुड़ामालानी को 500/– शुल्क पर कमीशनर नियुक्त किया जाता है। कमीशन शुल्क प्रार्थीगण मौके पर अदा करेंगे। आवश्यकता होने पर तहसीलदार गुड़ामालानी को थानाधिकारी पुलिस थाना गुड़ामालानी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है। तहसीलदार गुड़ामालानी बाद पालना, पालना प्रतिवेदन प्रेषित करे। तहरीर जारी हो। पालना प्रतिवेदन प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली किया जावे। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2022.09.19 18:07:34 IST
Reason: SelfAttested

आदेश आज दिनांक 18/7/22 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(हस्ताक्षर)
(प्रमोद कुमार)